CANCELLED CANCELLED

(9)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल (रेवेन्यू बोर्ड)

ग्वालियर, केम्प जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.)

राजस्व रिवीजन नं. 61-बी/15/2015-16

584

श्री ....
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ....
21 DEC 2015
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

आवेदकगण :- 1. संतोष पिता बाबूराव, उम्र करीब 30 वर्ष, जाति माली, निवासी- बराकीपुरा, माता मंदिर के पीछे, तहसील व जिला छिंदवाडा (म.प्र.)

2. उषाबाई पिता स्व. बाबूराव, (पति केशनारेकर) उम्र करीब 35 साल, जाति माली, निवासी- गुरैया रोड, सब्जीमंडी के पास, तहसील व जिला छिंदवाडा (म.प्र.)

3. सरिता बाई पिता स्व. बाबूराव (पति दिलीप बाड़करे) उम्र करीब 37 साल, जाति माली, निवासी- बारकीपुरा, मांग मोहल्ले के पीछे, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदक :- आशीष पिता स्व.केशोराव दौड़के, उम्र करीब 20 वर्ष, जाति माली, निवासी- मऊ, तहसील मोहखेड, जिला छिंदवाडा (म.प्र.)

राजस्व रिविजन अंतर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959

यह रिविजन माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ग्राम शोसर, जिला छिंदवाडा के राजस्व प्रकरण क्रं. 01/बी-121/2015-16 के निर्णय दिनांक 07.11.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 61—एक / 15 जिला — जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01.3.16	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अपील को अवधि के अंदर मान्य किया गया है । विलंब क्षमा करने के संबंध में उन्होंने प्रकरण के तथ्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है । विलंब क्षमा करना यह अधीनस्थ न्यायालय के विवेक पर निर्भर है वरिष्ठ न्यायालय केवल यह देख सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों का उपयोग विधिवत किया है या नहीं । इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विलंब को क्षमा किया गया है । उनके इस आदेश में कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है ना ही कोई विधिक त्रुटि है । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में हस्तक्षेप का कोई आधार न होने से यह पुनरीक्षण अग्राह्य किया जाता है । पक्षकार सूचित हों प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	